

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/40/2016/18-5  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /11/2016

उप नियंत्रक  
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय  
भोपाल ।

विषय :- विदिशा विकास योजना 2011 में उपांतरण ।

उपरोक्त विषय में विभागीय सूचना दिनांक 8/11/2016 की हिन्दी की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना का साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियों विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न : यथोपरि

( सुप्रिया पेंडके )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल, दिनांक 8/11/2016

क्रमांक-एफ-3/40/2016/18-5  
प्रतिलिपि:-

आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की और सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि नगर तथा ग्राम निवेश की बेबसाईट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

Suport

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

3/11/2016

संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	
आवक क्र.	1580
दिनांक	09/11/16
शाखा	T.C Add Dr (N)
अधीक्षक	आयुक्त

DD TC  
16/11/16

16.11.16  
Dman(S)

website पर तत्काल  
प्रकाशन करवाएँ

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय

// सूचना //

भोपाल, दिनांक 8/11/2016  
क्रमांक-एफ-3-40/2016/18-5-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3/40/2016/18-5, दिनांक 09/08/2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित विदिशा विकास योजना 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्त निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम गेहूखेडी	124, 126 / 1, 126 / 2, 126 / 3, 127,	0.199 हे० 0.910 हे० 0.146 हे० 0.209 हे० 0.060 हे०	कृषि	आवासीय
		योग-	1.527 हेक्टेयर		

1. भूमि का आवंटन अटल आश्रय योजना हेतु किया गया है । अतः जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा ।
2. प्रश्नाधीन भूमि की पूर्व दिशा में स्थित नाले से मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा ।
3. उपरोक्त उपांतरण विदिशा विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( सी के साधव )

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

3/11/2011